सुप्रीम कोर्ट cases इन हिंगलिश

Innoventive Industries Ltd. Vs. ICICI Bank and Anr. (Civil Appeal Nos. 8337-8338 of 2017)

ICICI ने सेक्शन 7 में Innoventive के अगेंस्ट केस फाइल किया

NCLT ने केस एडमिट कर लिया

Innoventive ने अपील फाइल की NCLAT में -महाराष्ट्र रिलीफ अंडरटेकिंग (स्पेशल Provisions एक्ट )1958 अप्लाई होने की वजह से लायबिलिटीज़ सस्पेंडेड रहेंगी

NCLAT में भी रिलीफ न मिलने पर Innoventive सुप्रीम कोर्ट में गयी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा IBC has overriding effect over MRUA

corporate debtor को नोटिस देना ज़रूरी नहीं सेक्शन 7 में

फाइनेंसियल और ऑपरेशनल क्रेडिटर की application के provisions में फर्क है

Refer Article 254 इन केस ऑफ़ repugnancy between central एंड state laws ;Central law will prevail.

IBC contains non obstante क्लॉज़ which has overriding effect

...

Mobilox Innovations Private Limited Vs. Kirusa Software Private Limited (Civil Appeal No. 9405 of 2017).

स्टार टीवी पर एक प्रोग्राम आता था नच बलिये। उस प्रोग्राम की टेलीफोनिक वोटिंग के लिए mobilox ने kirusa को कॉन्ट्रैक्ट दिया और एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट उसके साथ sign किया। Kirusa ने अपनी वेबसाइट पर इस प्रोग्राम के बारे में खुलासा कर दिया। मोबिलोक्स के पेमेंयत न करने पर kirusa ने सेक्शन 9 में एप्लीकेशन डाल दी.प्रश्न ये था की क्या नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट का उल्लंघन एक डिस्प्यूट है।

NCLT ने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी की डिस्प्यूट है

NCLAT ने एप्लीकेशन allow कर दी की मोबिलोक्स ने डिमांड नोटिस के जवाब में डिस्प्यूट उठाया

मोबिलोक्स सुप्रीम कोर्ट में चली गयी. मोबिलोक्स को रिलीफ मिला सुप्रीम कोर्ट ने कहा की there is a difference between डिस्प्यूट एंड existence ऑफ़ डिस्प्यूट। इन this केस there is existence ऑफ़ a dispute

Surendra Trading Company Vs. Juggilal Kamlapat Jute Mills Company Limited and Others (Civil Appeal No. 8400 of 2017)

सेक्शन 9 में NCLT को 14 दिन का टाइम दिया गया है एप्लीकेशन accept या reject करने के लिए। और 7 दिन का टाइम दिया गया है एप्लिकेंट को किसी भी डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए।

NCLAT ने कहा 14 दिन का टाइम directory है और 14 दिन भी डेट ऑफ़ फाइलिंग से काउंट नहीं होंगे बल्कि डेट ऑफ़ presentation से होंगे लेकिन एप्लिकेंट को जो 7 दिन का टाइम मिलता है वो mandatory है

सुप्रीम कोर्ट ने कहा की NCLAT के इस conclusion का कोई valid rationale नहीं है। अगर वाकई एप्लिकेंट sufficient cause prove कर देता है तो एप्लीकेशन डिफेक्ट रिमूव होने के सात दिन बाद भी entertain की जा सकती है

...

Alchemist Asset Reconstruction Company Ltd.Vs.M/s.Hotel Gaudavan Pvt. Ltd. & Ors (Civil Appeal No. 16929 of 2017)

इस केस में प्रश्न ये था की IBC में एप्लीकेशन एडमिट हो गयी और मोरेटोरियम शुरू हो गया। क्या उसके बाद भी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स चल सकती हैं या नहीं.सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं।

...

Uttara Foods and Feeds Private Limited Vs. Mona Pharma chem (Civil Appeal No. 18520 of 2017).

इस केस में सवाल ये था की IBC में जाने के बाद अगर पार्टीज के बीच में कोई कोम्प्रोमाईज़ हो जाता है तो क्या वो वैलिड होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा की सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 में ये पावर exercise कर सकता है। लेकिन अगर सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट के पास आने लग गए तो सुप्रीम कोर्ट का लोड बढ़ेगा इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ़ लॉ एंड जस्टिस को कहेंगे की रूल्स में अमेंडमेंट की जाये ताकि NCLAT खुद ही ऐसे कोम्प्रोमाईज़ को इफ़ेक्ट दे सके

...

Macquarie Bank Limited Vs.Shilpi Cable Technologies Ltd. (Civil Appeal No. 15135 of 2017).

ये केस पहले कम्पनीज एक्ट के सेक्शन 433 /434 में चल रहा था। IBC आने के बाद सेक्शन 9 में लगायी गयी। इस केस में दो issues थे। पहला ये की क्या सेक्शन 8 में बैंक का सर्टिफिकेट mandatory है नॉन पेमेंट के केस में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा की बैंक का सर्टिफिकेट directory है

दूसरा इशू ये था की क्या एप्लीकेशन क्रेडिटर को खुद sign करनी है या अधिवक्ता भी एप्लीकेशन sign कर सकता है बैंक ने कहा की अधिवक्ता भी एप्लीकेशन sign कर सकता है और एडवोकेट्स एक्ट के सेक्शन 30 और कोड के सेक्शन 238 में कोई disharmMacquarie Bank Limited Vs.Shilpi Cable Technologies Ltd. (Civil Appeal No. 15135 of 2017).

ये केस पहले कम्पनीज एक्ट के सेक्शन 433 /434 में चल रहा था। IBC आने के बाद सेक्शन 9 में लगायी गयी। इस केस में दो issues थे। पहला ये की क्या सेक्शन 8 में बैंक का सर्टिफिकेट mandatory है नॉन पेमेंट के केस में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा की बैंक का सर्टिफिकेट directory है

दूसरा इशू ये था की क्या एप्लीकेशन क्रेडिटर को खुद sign करनी है या अधिवक्ता भी एप्लीकेशन sign कर सकता है बैंक ने कहा की अधिवक्ता भी एप्लीकेशन sign कर सकता है और एडवोकेट्स एक्ट के सेक्शन 30 और कोड के सेक्शन 238 में कोई disharmony नहीं

...

Shivam Water Treaters Pvt. Ltd. Vs.Union of India Secretary to Govt. Ministry of Corporate Affairs & Ors. (SLP (C) No. 174/2018)

January 25, 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने एक interim आर्डर पास किया और हाई कोर्ट ऑफ़ गुजरात को रिक्वेस्ट किया की वो IBC की वैलिडिटी या NCLT की कोंस्टीटूशनल वैलिडिटी की बहस में न पड़े। कोर्ट ने ये भी कहा की NCLT की कम्पोजीशन की वैलिडिटी या IBC की कोंस्टीटूशनलिटी या वैलिडिटी को अगर चैलेंज करना है तो सुप्रीम कोर्ट के पास आइये



...

B K Educational Services Pvt Ltd. Vs.Parag Gupta and Associates (Supreme Court -Civil Appeal No. 23988/2017).

इस केस में क्वेश्चन ये था की लिमिटेशन एक्ट IBC केसेस में लगेगा या नहीं और लगेगा तो कबसे.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा लिमिटेशन एक्ट लगेगा since इन्सेप्शन ऑफ़ IBC

...

Bank of New York Mellon London Branch Vs.Zenith Infotech Ltd. (Civil Appeal No. 3055 of 2017)

SICA रिपील हुआ 2003 में लेकिन नोटिफिकेशन इशू हुआ 2016 में। इस कंपनी ने २०१३ में एक एप्लीकेशन BIFR में लगायी लेकिन वो एप्लीकेशन रजिस्ट्रार ने रिजेक्ट कर दी की ये कंपनी इंडस्ट्रियल कम्पनी नहीं है इस आर्डर के अगेंस्ट में सेक्रेटरी और चेयरमैन को अपील की गयी लेकिन दोनों ने अपील रिजेक्ट कर दी। अब प्रश्न ये था की क्या एप्लीकेशन का dismissal ठीक था। और अगर डिस्मिस्सल गलत था तो फिर वाइंडिंग अप आर्डर जो कंपनी कोर्ट ने दिया और बॉम्बे हाई कोर्ट ने कन्फर्म किया वो भी गलत मन जायेगा और दुबारा रिफरेन्स रजिस्ट्रेशन का कोई स्कोप है क्या

सुप्रीम कोर्ट ने कहा: Company may seek its remedies under the provisions of Section 252 of the Code read with what is laid down in Sections 13, 14, 20 and 25.We make it clear that we should not be understood to have expressed any opinion on the scope and meaning of the said or any other provisions of the Code and the adjudicating authority i.e. National Company Law Tribunal would be free and, in fact, required to decide on the said questions in such manner as may be considered appropriate.

..

## HIGH COURT

### Sree Metaliks Ltd. and Anr Vs.Union of India and Anr. (W.P. 7144 (W)-2017)in High Court of Judicature at Calcutta.

इस केस में सवाल ये था कि क्या सेक्शन 7 ultra vires है। हाई कोर्ट ने कहा नहीं

Section 7(4) में NCLT को डिफ़ॉल्ट ascertain करना होता है NCLT की प्रोसीडिंग्स adversarial हैं in nature but Both the sides are entitled to a reasonable opportunity of hearing.

Sub- rule (3) of Rule 4 में financial creditor को एप्लीकेशन की कॉपी registered post या speed post से कॉर्पोरेट debtor के registered office पर भेजनी होती है।

ये ज़रूरी नहीं की NCLT या NCLAT को आर्डर पास करने के पहले हर मामले में दूसरे पक्ष को सुनना ज़रूरी है तभी नेचुरल जस्टिस पूर्ण माना जायेगा। ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है की NCLT को exparte ad interim order पास करना पड़े लेकिन ऐसे केस में रीज़न रिकॉर्ड कर लेने चाहियें It must, thereafter proceed to afford the party respondent an opportunity of hearing before confirming such exparte ad interim order.

In the facts of the present case, the learned senior advocate for the petitioner submits that, orders have been passed by the NCLT without adherence to the principles of natural justice. The respondent was not heard by the NCLT before passing the order.

### Essar Steel India Ltd. Vs. Reserve Bank of India & 3 Ors. (Special Civil Application No. 12434-2017), in High Court of Judicature at Ahmedabad.

RBI ने 13.06.2017 को एक प्रेस रिलीज़ जारी की जिसमें बैंकों को कहा गया की IBC में 12 कंपनियों को घसीटो जिसमें एक कंपनी एस्सार स्टील भी थी. इस कंपनी का डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग का प्रपोजल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स ने APPROVE किया हुआ था। एस्सार का कंसोर्टियम जिसका लीड बैंक SBI था ने सेक्शन 9 में एप्लीकेशन फाइल कर दी। अब सवाल ये था की क्या SBI और SCB ऐसा कर सकते हैं

हाई कोर्ट ने कहा की RBI को भी प्रेस रिलीज़ जारी करते हुए सावधान रहना चाहिए। RBI ने इससे पहले भी 22. 05 . 2017 को एक प्रेस रिलीज़ जारी की थी जिसमें S 4 A -स्कीम का हवाला दिया था। ये स्कीम भी 13.06.2017 को ही लागु की गयी थी। indirectly कोर्ट का ये कहना था की एक स्कीम S 4 A चल रही है तो चलने दो.किसी को S 4 A में ले जाओगे और किसी के बारे में कहोगे इसको IBC में ले जाओ।

बैंकिंग कंपनी को पूरा अधिकार है की एस्सार को IBC में ले जाये। NCLT इस मामले को देखे और ये सुनिश्चित करे की की किसी भी पार्टी के साथ भेदभाव न हो

Sanjeev Shriya Vs. State bank of India & 6 Ors. (Writ-C Nos. 30285 & 30033-2017),in High Court of Judicature at Allahabad.

एक कंपनी होती थी LML जिसने LML NV स्कूटर लांच किया था। वो स्कूटर मेरे पास आज भी है और एक किक में स्टार्ट होता है। ये कंपनी बाद में SICK डिक्लेअर कर दी गयी। संजीव श्रिया और दीपक सिघाणीअ इस कंपनी के पर्सनल गारंटर थे। SBI कंपनी और गरंटोर्स के खिलाफ DRT में चला गया सवाल ये था की क्या कंपनी और उसके पर्सनल गारंटर के खिलाफ प्रोसीडिंग्स DRT और IBC में एक साथ चल सकती हैं या नहीं। हाई कोर्ट ने कहा जब तक CIRP या लिक्विडेशन का प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता drt की प्रोसीडिंग नहीं चल सकती। लेकिन कॉर्पोरेट गारंटर और कंपनी दोनों के खिलाफ प्रोसीडिंग चल सकती हैं

Akshay Jhunjhunwala & Anr. Vs. Union of India through the Ministry of Corporate Affairs & Ors. (W P No. 672-2017), in High Court of Judicature at Calcutta.

इस केस में सवाल ये था की हमारे कंस्टीटूशन में राइट to equality दिया गया है। IBC में फाइनेंसियल और ऑपरेशनल दो तरह के क्रेडिटर हैं। क्रेडिटर तो क्रेडिटर है फाइनेंसियल और ऑपरेशनल क्या। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा रिज़नेबल differentia हो सकता है। दोनों की डेफिनिशन अलग से दी गयी है और इससे सविंधान का उलंघन नहीं होता

Power Grid Corporation of India Ltd. Vs. Jyoti Structure Ltd. (O.M.P (COMM) 397/2016), in High Court of Judicature at New Delhi.

सेक्शन 14 में मोरेटोरियम का मतलब ये है की कॉर्पोरेट debtor के assets के अगेंस्ट डेब्ट रिकवरी रुक सके लेकिन मान लो सेक्शन 34 ऑफ़ आर्बिट्रेशन एंड कॉसिलिएशन एक्ट में कोई प्रोसीडिंग चल रही हैं तो चलने दो। भाई सेक्शन 34 में कोई डिक्री कंपनी को मिल गयी तो बढ़िया है न। ये थोड़ा ही है की मोरेटोरियम चल रहा है तो जो माल आ रहा है उसको भी मत आने दो

Jotun India Pvt. Ltd. Vs.PSL Ltd. (CA No. 572 of 2017 in CP No. 434 of 2015), in High Court of Judicature at Bombay.

इस केस में मामला ये था की क्या एक ही कंपनी के अगेंस्ट दो वाइंडिंग अप पेटिशन चल सकती हैं या नहीं। हाई कोर्ट ने कहा -नहीं , अगर कम्पनीज एक्ट के सेक्शन 433 (e ) में कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो IBC के सेक्शन 238 में भी प्रोसीडिंग चलाना फोरम शॉपिंग हो जायेगा क्यूंकि दोनों का इफ़ेक्ट एक ही है

Dr. Vidya Sagar Garg Vs.Insolvency and Bankruptcy Board of India (W.P. (C) 9520/ 2017, CM Appl. 38726-38727/2017), in High Court of Judicature at New Delhi.

इस केस में IBBI ने एक इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल को रजिस्टर करने से मना कर दिया की वो फिट एंड प्रॉपर पर्सन नहीं है क्यूंकि उसके खिलाफ एक FIR filed है और चार्ज शीट भी फाइल कर दी गयी है। IP ने कहा की डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल कर दी गयी है। कोर्ट ने कहा जब डिस्चार्ज कोर्ट allow कर दे तो दुबारा रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन लगा देना IBBI को... अभी pre mature है

Leo Edibles& Fats Ltd. Vs. The Tax Recovery Officer (Central), Income Tax Dept., (Hyderabad)and others (W.P. No. 8560 of 2018), in High Court of Judicature at Hyderabad

चाहे इनकम टैक्स का अटैचमेंट आर्डर लिक्विडेशन प्रोसीडिंग initiate होने के पहले ही इशू हो गया हो लेकिन इनकम टैक्स के क्लेम को priority नहीं दी जा सकती. IBC में Govt dues वॉटरफॉल मैकेनिज्म में काफी नीचे आते हैं

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई सिक्योर्ड क्रेडिटर नहीं है इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 178 इसमें काम नहीं आएगा इनकम टैक्स dues सेक्शन 53 (1) (e ) of IBC में कवर होते हैं

M/s Era Infra Engineering Ltd. Vs. Prideco Commercial Projects Pvt. Ltd. (Company Appeals (AT) (Ins) No. 31 of 2017).

इस केस में question ये था की क्या सेक्शन 9 में एप्लीकेशन लगाने से पहले सेक्शन 8 में नोटिस न देने पर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। ऑपरेशनल क्रेडिटर ने माना की उसने सेक्शन 9 में एप्लीकेशन लगाने से पहले सेक्शन 8 में नोटिस नहीं दिया था। उसने ये भी कहा की मैंने पहले सेक्शन 271 ऑफ़ कम्पनीज एक्ट में नोटिस दिया था। NCLAT ने कहा सेक्शन 8 का नोटिस देना ज़रूरी है

Neelkanth Township & Construction Pvt. Ltd. Vs. Urban Infrastructure Trustees Limited (Company Appeal(AT) (Insolvency) No. 44 of 2017).

इस केस में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ने नीलकंठ के OCD ले रखे थे जो 2011 ,2012 ,2013 में देय हो गए थे लेकिन उनकी पेमेंट नहीं हुयी। सेक्शन 7 में NCLT ने एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली। नीलकंठ NCLAT में चला गया और कहा की ये debt तो time barred है NCLAT ने कहा लिमिटेशन एक्ट नहीं लगेगा।

नीलकंठ ने ये कहा की अर्बन ने रिकॉर्ड ऑफ़ डिफ़ॉल्ट नहीं दिया NCLAT ने कहा ये प्रोसीज़रल है।

नीलकंठ ने ये कहा ये तो फाइनेंसियल क्रेडिटर ही नहीं है ये तो इन्वेस्टर है NCLAT ने कहा नहीं ये फाइनेंसियल क्रेडिटर में कवर होता है

International Road Dynamics South Asia Pvt. Ltd. Vs. Reliance Infrastructure Ltd. (Company Appeal (AT) (Insolvency) No.72 of 2017).

इस केस में NCLT ने सेक्शन 9 की एप्लीकेशन इसलिए रिजेक्ट कर दी की एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन clause है ,कॉर्पोरेट debtor solvent है और क्लेम तीन अलग अलग प्रोजेक्ट और वर्क आर्डर को कंबाइन करके फाइल किया गया है। NCLAT ने कहा की पहले दो पॉइंट में तो दम नहीं है लेकिन तीसरे पॉइंट यानी की क्लेम के लिए तीन अलग अलग प्रोजेक्ट और वर्क आर्डर को club किया गया है को हम भी मानते हैं और इस बेसिस पे ऑपरेशनल क्रेडिटर की एप्लीकेशन रिजेक्ट करते हैं

Canara Bank Vs. Deccan Chronicle Holdings Limited (Company Appeal (AT) (Insolvency) No. 147 of 2017).

इस केस में इशू ये था की मोरेटोरियम लगने के बाद क्या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कोई suit फाइल किया जा सकता है। NCLT का मानना था की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मोरेटोरियम से बाहर हैं लेकिन NCLAT ने ये कहा की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी इसमें कवर्ड हैं। सिर्फ आर्टिकल 226 या आर्टिकल 32 में रिट पेटिशन जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में फाइल होती हैं को छोड़कर कोई भी suit हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में मोरेटोरियम लगने के बाद फाइल नहीं किया जा सकता। अगर कोई भी मनी सूट या सूट फॉर रिकवरी मोरेटोरियम लगने से पहले फाइल किया गया हो,मोरेटोरियम लगने के बाद उस suit पर भी स्टे लग जायेगा

Innoventive Industries Ltd. Vs. Maharashtra State Electricity Distribution Company Ltd. (Company Appeal (AT) (Insolvency) No. 156 of 2017).

Innoventive Industries Ltd. Vs. Maharashtra State Electricity Distribution Company Ltd. (Company Appeal (AT) (Insolvency) No. 156 of 2017).

इस केस में MSED co Ltd को बिजली का भुगतान नहीं किया गया तो उन्होंने बिजली काट दी। अब सवाल ये था की मोरेटोरियम लगने के बाद बिजली के बिल को इन्सॉल्वेंसी रेसोलुशन cost का पार्ट मानकर तुरंत पेमेंट की जाए या रेसोलुशन प्लान के हिसाब से क्रेडिटर मानकर पेमेंट की जाए। NCLT का मानना था की बिजली दो तरह से उपयोग हो सकती है -as input for output or as essential services . क्यूंकि इस केस में बिजली को इनपुट सर्विस की तरह से use किया गया है और बकाया रकम करीब एक करोड़ रूपये है इसलिए इसको एसेंशियल सर्विस नहीं मान सकते और कंपनी चाहे तो बिजली का कनेक्शन काट सकती है

NCLAT ने ये कहा की करंट बिल का भुगतान कंपनी करने को तैयार है तो कंपनी कनेक्शन restore कर सकती है। आगे के बिल IRP महीने के महीने पे करता रहे। मोरेटोरियम लगने के पहले के बिल जब रेसोलुशन प्लान के हिसाब से क्रेडिटर का पेमेंट होगा तब दे देना

Indian Overseas Bank Vs. Mr. Dinkar T. Venkatsubramaniam (Company Appeal (AT) (Insolvency) No. 267 of 2017).

इस केस में सवाल ये था की एक बार मोरेटोरियम लग गया उसके बाद फाइनेंसियल क्रेडिटर का क्लेम IRP द्वारा entertain किया जा सकता है या नहीं। NCLAT ने कहा बिलकुल किया जा सकता है और फाइनेंसियल क्रेडिटर को COC में शामिल किया जा सकता है

Unigreen Global Private Ltd Vs.Punjab National Bank (Company Appeal (AT) (Insolvency) No. 81 of 2017).

अगर किसी फाइनेंसियल क्रेडिटर ने SARFAESI या DRT एक्ट में कोई क्लेम या अपील फाइल कर रखी है तो भी उसकी एप्लीकेशन सेक्शन 10 में रिजेक्ट नहीं की जा सकती। अगर मोरेटोरियम लग गया तो सर्फेसी या DRT की proceeding स्टे हो जाएँगी। IBC कोड overrides सर्फेसी and DRT एक्ट

Devendra PadamchandJain (Resolution Professional) Vs.State Bank of India & Others (Company Appeal (AT) (Insolvency) No.177 of 2017).

इस केस में प्रश्न ये था की क्या NCLT भी RP को हटा सकती है। NCLAT ने कहा -हाँ हटा सकती है। सेक्शन 34 ( 4 ) के हिसाब से NCLT भी RP को हटा सकती है यदि सेक्शन 13 के अंतर्गत दिया गया रेसोलुशन प्लान सेक्शन 30 ( 2 ) की शर्तों को पूरा नहीं करता

M/s. Subasri Realty Private Limited Vs.Mr. N. Subramanian & Anr. (Company Appeal (AT) (Insolvency) No. 290 of 2017).

M/s. Subasri Realty Private Limited Vs.Mr. N. Subramanian & Anr. (Company Appeal (AT) (Insolvency) No. 290 of 2017).

इस केस में NCLAT ने ये कहा की IRP appoint होने के बाद और मोरेटोरियम लगने के बाद बोर्ड की पावर्स ससपेंड हो जाती हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं की बोर्ड या एम्प्लाइज काम करना बंद कर देंगे लेकिन चलेगी RP की। बोर्ड या अफसर भी उसको असिस्ट कर सकते हैं

JK Jute Mills Company Limited Vs. M/s Surendra Trading Company (Company Appeal (AT) No. 09/2017

इस केस में इशू ये था की 14 दिन का पीरियड जो NCLT को एप्लीकेशन accept या रिजेक्ट करने के लिए दिया गया है कब से काउंट होगा। डेट ऑफ़ फाइलिंग से या डेट ऑफ़ receipt ऑफ़ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जब रिसीव होती है उसके बाद भी रजिस्ट्री उसको चेक करती है की एप्लीकेशन कम्पलीट है या नहीं ,फीस लगायी गयी है या नहीं। उसके बाद ही NCLT के सामने प्रेजेंट करती है। NCLAT ने ये डीडे किया की 14 दिन का पीरियड डेट ऑफ़ receipt ऑफ़ एप्लीकेशन से नहीं बल्कि डेट ऑफ़ प्रेजेंटेशन before adjudicating authority से काउंट होगा

NCLT cases in Simple Language:

Reliance Commercial Finance Ltd. Vs. Ved Cellulose Ltd. ((IB)-156(PB)/2017).

वेद सेल्यूलोस ने रिलायंस से लोन लिया था जिसकी कुछ EMI बाउंस हो गयी। आर्बिट्रेशन में भी केस चल रहा था. NCLT ने कहा की आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग सेक्शन 7 में एप्लीकेशन एडमिट करने के लिए कोई बार नहीं है

State Bank of India Vs. Bhushan Steel Ltd. (C.A. No. 244 (PB)/2018, C.A. No. 186 (PB)/2018, C.A. No. 217 (PB)/ 2018 and C.A. No. 176 (PB)/2018 in C.P. (IB)-201 (PB)/2017).

It was held that by no stretch of imagination,NCLT can decide the amount of default. What it needs to satisfy itself is whether the basic condition of section 4 i.e. default of Rs.1 lakh or more is met or not.

Pratik Ramesh Chirania Vs.Trinity Auto Components Ltd. M.A.544/2017 in (CP No. 1032/I&BC/MB/MAH/2017).

Mumbai bench of NCLT opined that satisfaction of Adjudicating Authority as mandated under Section 31(1) of the IBC ,2016 can be subjective or objective or both. It means NCLT can suggest certain modifications to resolution plan as well.

In this case NCLT admitted the resolution plan proposed by the promoters contending that the promoters are not willful defaulters. The promoters infused additional capital and submitted a certificate that they are not willful defaulters.As per the latest amendment [The I & B Code (Amendment Act,2017(No. 8 of 2018)] dated 18th January,2018 a person shall not be eligible to submit a resolution plan in case such

person is a willful defaulter. Since the promoter is not a willful defaulter, provisions of Section 29A are not applicable.

RBL Bank Ltd Vs.MBL Infrastructure Ltd (CA (IB) Nos. 238, 270 & 280-KB-2018 IN CP (IB) No. 170-KB-2017(C.A.(I.B.) No. 543/2017).

In this case CIRP could not be completed within the stipulated time limit of 270 days. But such delay was beyond the control of the applicants. The applicants suggested that we don't want any extension of time .What we want is that AA should exclude the period of stay due to interim order of stay from limitation .AA accordingly agreed to exclude the period of continuation of stay order preventing from approving the resolution plan and the period taken for disposal of application from the 270 days fixed for conclusion of CIRP.

K. Sashidhar, Managing Director, Kamineni Steel & Power India Pvt. Ltd.Vs. Kamineni Steel & Power India Pvt. Ltd.(CP(IB) No. 11/10/HDB/2017).

In this case petition was filed under Section 10 by the corporate Debtor which was approved by NCLT. The Lead Bank, Indian Bank accepted the resolution plan. However three dissenting bankers objected to it. Dissenting financial creditors raised various objections like: Other steel companies are doing good, why this company has come to NCLT. This group has various colleges to which NCLT replied that such statements are of no consequence unless such parties are corporate guarantors.

NCLT instructed RP:
- to reinstate all 450 employees subject to their fitness

-to pay 0.13 crores to OC at the time of making initial payment of 5% of OTS Scheme

-balance towards electricity should be paid in equal instalments alongwith payments to be made to financial creditors.

NCLT also gave the following advice:

Dissenting creditors should express their views in COC. There is no point making bald statements outside in public domain.

Functioning of dissenting Banks should be carefully scrutinized as to why they could not resolve bad loans /NPAs

M/s Stanbic Bank Ghana Ltd. Vs. Rajkumar Impex Pvt. Ltd. (CP /670/IB/2017).

राजकुमार इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड ( RIPL )एक कंपनी थी जिसकी wholly owned subsidiary राजकुमार इम्पेक्स घाना ltd थी (RIGHANA ). RIGHANA ने Stanbik Bank Ghana से लोन लिया जिसकी गारंटी RIPL ने दी। लोन की रीपेमेंट नहीं हुयी। गारंटर के खिलाफ फॉरेन बैंक ने डिक्री ले ली। गारंटर never appeared in foreign court regarding repayment of guarantee nor he preferred any appeal against the decree. Stanbik Bank Ghana ने RIPL के against section 7 में एप्लीकेशन लगा दी. It was held that the Tribunal had no jurisdiction to entertain the foreign decree but there was no bar in it taking cognizance of the foreign decree. Guarantor had committed defaults in repayment of the guarantee amount as per order of the foreign court.Hence the petition was admitted.

IDBI Bank Ltd. Vs. Jaypee Infratech Ltd.(CA No. 26 /2018 in CP No. (IB) 771 / ALD/ 2017).

If an Objection has been filed by Corporate Debtor, Tribunal may allow the Corporate Debtor to withdraw the same.

State Bank of India Vs. Adhunik Metaliks (CA (IB) No. 422/KB/2018 in CP (IB) No. 373/KB/2017).

Period of 20 days which was utilized in checking the eligibility criteria of a bidder(Liberty House) who later on became ineligible was excluded from total period of 270 days in order to go for resolution of corporate debtor.In case this days time would not have been excluded from total period of 270 days(180 days + 90 days extension) then corporate Debtor would have gone into liquidation due to expiry of CIRP period.

Takkshil Enterprises Vs. IAP Company Pvt. Ltd. (CA Nos. 60, 69 & 70/C-III/ND/2018 in CP/IB/446/ND/2017).

The IP caanot be discharged of his duties for vague reasons once he has given his consent via empanelled list of IPs available at IBBI(Submission of Form 2 is just a formality).

Unethical and irresponsible behavior costed Rs.50000 to the IRP.

IRP to resume his duties within 3 days of order.

RP discloses the commission of cognizable offence while undertaking the CIRP and no action was taken by police authorities with regard to the same.On reporting the matter to NCLT,it directed that if the complaint

discloses the commission of cognizable offence then case is required to be registered and investigation needs to be carried out.

Electrosteel Steel Ltd. (CA (IB) No. 271/KB/2018,CA (IB) No. 277/KB/2018, CA(IB) No.281/KB/2018 in CP (IB) No.361/KB/2017)

Application under Section 9 can be filed by RP as well.